प्रेस विज्ञप्ति

18.01.2026

अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने तलाशी अभियान चलाया:

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पणजी आंचलिक कार्यालय ने मधुपान एसएस के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत गोवा, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा और दिल्ली सहित कई राज्यों में 26 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है, जिसमें अवैध मादक पदार्थों की तस्करी (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय) और उसके बाद धन शोधन शामिल है।

यह तलाशी अभियान गोवा पुलिस की एंटी-नारकोटिक्स सेल द्वारा मादक पदार्थों की व्यावसायिक मात्रा में तस्करी के लिए नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी द्वारा दर्ज की गई ईसीआईआर के अनुसरण में चलाया गया था।

तलाशी अभियान से एक सुसंगठित अंतरराज्यीय मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के अस्तित्व का खुलासा हुआ। इसके अलावा, गोवा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा और केरल सहित कई राज्यों में बिजनेस-टू-बिजनेस (बी2बी) आधार पर मादक पदार्थों के वितरण का पता लगाया गया है।

इसके अलावा, तलाशी अभियान के दौरान, ईडी ने लगभग 3 करोड़ रुपये नकद, आपत्तिजनक दस्तावेज़ और डिजिटल उपकरण जब्त किए। तलाशी के दौरान ईडी को मादक पदार्थ मिले, जिसके लिए एनसीबी और पुलिस अधिकारियों के साथ प्रभावी समन्वय करके प्रतिबंधित सामग्री को जब्त किया गया। एक मामले में, आरोपी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

ज़ब्त किए गए डिजिटल उपकरणों और दस्तावेजों के विश्लेषण से निम्नलिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं:

• भारत के भीतर और कई राज्यों में एमडीएमए, एक्स्टसी, हैश, कुश, शरूम, राशोल क्रीम, कोकीन, सुपर क्रीम आदि सहित मादक पदार्थों की बड़े पैमाने पर आपूर्ति;

• मादक पदार्थों के परिवहन के लिए कूरियर और डाक चैनलों का व्यवस्थित उपयोग;

• यूपीआई, बैंक हस्तांतरण, क्रिप्टोकरेंसी और नकद लेनदेन के माध्यम से अपराध की आय का हस्तांतरण; और

• जटिल वित्तीय चैनलों के उपयोग के माध्यम से अपराध की आय को छिपाना और उसे कई परतों में जमा करना।

जांच में नशीले पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला में आपूर्तिकर्ताओं के साथ संबंधों और अवैध कमाई के मनी लॉन्ड्रिंग में कई सहयोगियों और दलालों की सक्रिय संलिप्तता का भी खुलासा हुआ है।

मधुपान एसएस को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया था। गोवा स्थित पीएमएलए के तहत विशेष न्यायालय ने आरोपी को 7 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है।

ईडी संगठित मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क को नष्ट करने और अपराध से प्राप्त धन को वैध बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वित्तीय चैनलों को बाधित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ईडी मादक पदार्थों की तस्करी और धन शोधन से निपटने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और अन्य संबंधित कानूनों के प्रावधानों का प्रभावी और व्यापक रूप से उपयोग करने के अपने संकल्प को दोहराती है।

नशा मुक्त भारत अभियान के उद्देश्यों के अनुरूप, ईडी मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए उनके वित्तीय आधारों को निशाना बनाते हुए निर्णायक कार्रवाई जारी रखे हुए है। मादक पदार्थों से प्राप्त धन से अर्जित संपत्तियों की पहचान करने, उनका पता लगाने और उन्हें कुर्क करने के माध्यम से, ईडी नशा मुक्त भारत के राष्ट्रीय मिशन को मजबूत कर रही है।

यह अभियान अवैध मादक पदार्थों के व्यापार पर अंकुश लगाने, अपराध से प्राप्त धन का पता लगाने और उसे जब्त करने तथा ऐसी गैरकानूनी गतिविधियों के विरुद्ध कड़ा संदेश देने के लिए प्रवर्तन निदेशालय के निरंतर प्रयासों को रेखांकित करता है। इस मामले में आगे की जांच जारी है ताकि सभी लाभार्थियों और सहायकों की पहचान की जा सके और अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्तियों का पता लगाया जा सके।











